आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल

आपूर्ति अपील वाद सं0 – 015/डी0एम0/2018

श्री वासुदेव सिंह बनाम बिहार सरकार

आदेश

07-04-2018

यह आपूर्ति अपील वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल न्यायालय वाद संख्या 13/2017, में दिनांक 20.09.2017 को **श्री वासुदेव सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत खड़ासीन, प्रखण्ड–सोनभद्र बंशी सूर्यपुर के जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0 153/2007** को बिहार लक्षित सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में निहित अनुज्ञप्ति शर्त की **कंडिका 14 (i) एवं कंडिका 125 (i) (ख)** का उल्लंघन के आलोक में जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द करने के फलस्वरूप अपीलार्थी अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आपूर्ति अपील वाद न्यायायल में प्रस्तुत किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरणी :–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 215/आ0, दिनांक 14.06.2017 के द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता **श्री वासुदेव सिंह** के जनवितरण दुकान से संबंधित निरीक्षण के क्रम में कतिपय त्रुटियों का उल्लेख करते हुए जॉच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल को समर्पित किया गया। तत्पश्चात अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर **श्री वासुदेव सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता** से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

1. उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण प्रत्येक माह नहीं करना।
2. खाद्यान्न निर्धारित मात्रा से कम वजन देना।
3. खाद्यान्न का मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक लेना।

श्री वासुदेव सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर कण्डिकावार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उक्त आरोपों को निराधार एवं असत्य बताते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

तदआलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए दिनांक 20.09.2017 को श्री वासुदेव सिंह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति संख्य 153/2007 को रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता (जी0पी0) को सुनकर अभिलेख को आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल द्वारा कतिपय लाभुकों के ब्यान को आधार बनाकर अपीलार्थी के विरूद्ध जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध करपी थाना काण्ड संख्या 117/2017 दिनांक 17.06.2017 धारा 07ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवेदक के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध मूलतः दो आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा की गई। अपीलार्थी द्वारा ससमय कंडिकावार स्पष्टीकरण एवं जिन लाभूकों को जिला आपूर्ति पदाधिकरी, अरवल द्वारा

अनुसूची 14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

तथकथित ब्यान लिया गया है उन सभी लाभुकों एवं पारिवारिक सदस्यों का शपथ–पत्र भी अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें इन पर लगाये गये आरोपों का खण्डन ग्रामीणों द्वारा किया गया है। आगे कहना है कि अपीलार्थी वर्ष 2003 से जनवितरण विक्रेता का कार्य कर रहें है, परन्तु आज तक कोई भी लाभुक अपीलार्थी के विरूद्ध अनियमितता का आरोप नहीं लगाया है। वितरण पंजी पर ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम कचहरी सरपंच एवं उप मुखिया द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि वितरण में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।

उनका यह भी कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा स्पष्टीकरण तथा लाभुकों के शपथ–पत्र पर किसी प्रकार का बिना विचार किये स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताकर अस्वीकृत कर दिया गया है जो बिहार लक्षित सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धारा 27 (ii) का सर्वथा उल्लंघन है, साथ ही प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध भी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा आदेश पारित करते समय नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई तथा आरोपों के अस्पष्टता के बावजूद अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जबकि अस्पष्ट आरोप के आधार पर नियमों को अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध आदेश पारित नहीं करना है। जैसा कि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा कुन्जीलाल साहनी बनाम बिहार राज्य वगैरह में **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश 2016 (2) वी0एल0जे0 के पेज संख्या 318 की छायाप्रति समर्पित करते हुए** बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जिन आरोपों के समर्थन में सामग्री एवं साक्ष्य तथा अपीलार्थी को बिना सुने जन वितरण अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली अधिनियम, 2016 की धारा 29 में स्पष्ट है कि दोष सिद्धी के पश्चात जनतिवरण अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना है। फिर भी अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति संख्या 153/2007 को रद्द कर दिया गया, जो आदेश विधि के अनुरूप नहीं है तथा तत्काल प्रभाव से आदेश को विखण्डित किया जाना आवश्यक है। इसलिए अपीलार्थी के अपील पत्र को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 153/2007 को पुनः बहाल करने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता (जी0पी0) का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में ग्रामीणों के ब्यान के पश्चात ही आरोप लगाया गया है। जिसका साक्ष्य उक्त जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न भी किया गया है। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी श्री वासुदेव सिंह के विरूद्ध प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनभद्र बंशी सूर्यपुर द्वारा शहरतेलपा ओ0पी0 थाना काण्ड संख्या 117/17, दिनांक 17.06.2017 धारा 07ई0सी0 एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जिससे स्प्ष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता **श्री वासुदेव सिंह, ग्राम पंचायत खड़ासीन, प्रखण्डः सोनभद्र बंशी सूर्यपुर, जिला–अरवल** द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अनियमितता की गई है। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल के पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों, तर्कों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अनुशीलन किया। अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक 20.09.2017 को पारित आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का साक्ष्य आधारित समीक्षा नहीं की गई है। महज जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरवल द्वारा लाभुकों के ब्यान के आधार पर निष्कर्स पर पहुँचा गया है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अपीलार्थी के विरूद्ध अपने पारित आदेश में साक्ष्यों की समीक्षा बिना दिनांक 17.06.2017 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 07 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की गई है तथा तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में बिहार लक्षित सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 28 के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए थी तथा अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये आरोपों को साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया जाना चाहिए था। इस संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0 जे0 सी0 संख्या 434/2014 (कुंजी लाल साहनी बनाम बिहार सरकार) एवं 16374/2016 (रणविजय सिंह बनाम बिहार सरकार) के मामले में यह स्पष्ट रूप से व्याख्यापित है कि अस्पष्ट आरोप के आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 28 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

चूकि अपीलार्थी के विरूद्ध 7 ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि समस्त तथ्यों की साक्ष्य के साथ सम्यक समीक्षा कर एक तर्कसंगत आदेश पारित करें। आदेश की एक प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल को अनुपालनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी, अरवल

जिला दण्डाधिकारी, अरवल

अनुसूची 14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3